

पत्रांक : सम्बद्धता / 2025 / 02 / 6371

दिनांक : 17.02.2025

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक

समस्त महाविद्यालय

सम्बद्ध- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009

विषय- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 3261/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। समय-सारिणी निम्नवत् है-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा (1/88/927/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 17.02.2025)
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	—
2	विश्वविद्यालय में आनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 24 फरवरी, 2025 तक।
3	अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।
4	आनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक।
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 मार्च, 2025 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 30 मार्च, 2025 तक। (1) अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2025 तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 30 मार्च, 2025 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 10 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया/कुशीनगर को इस आशय से सूचित कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अनापत्ति प्रस्तावों का निस्तारण आनलाइन कराने का कष्ट करें।
- 2 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- 4 समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- 5 प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 6 वैय0 सहायक कुलसचिव।

उप-कुलसचिव

पत्रांक : सम्बद्धता / 2025 / 02 / 6372

दिनांक : 17 / 02 / 2025.

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

जिलाधिकारी, गोरखपुर।
जिलाधिकारी, देवरिया।
जिलाधिकारी, कुशीनगर।

विषय— उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों का आनलाइन निस्तारण हेतु संशोधित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या समय-सीमा (1/88/927/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 17.02.2025) के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में संशोधित समय-सारिणी निम्नवत् है—

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा (1/88/927/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 17.02.2025)
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	—
2	विश्वविद्यालय से आनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 24 फरवरी, 2025 तक।
3	अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जनपदवार अनापत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नवत् है—

Sl. No	Appli. ID	District	College Name
1	0025805640001	Kushinagar	P K SINGH MAHILA MAHAVIDYALAYA
2	0025805710001	Deoria	Swargiya Foola Devi Memorial Law College
3	0025805690001	Deoria	RAMESH PRASAD SINGH MAHAVIDYALAYA
4	0025805670001	Kushinagar	SARASWATI LAW COLLEGE
5	0025805700001	Gorakhpur	SMT SHUBHRAJI DEVI KANYA MAHAVIDYALAY RATANPURA BELGHAT GORAKHPUR 273404
6	0025805680001	Gorakhpur	PYARI DEVI RAJIT LAW MAHAVIDYALAYA
7	0025802520004	Gorakhpur	V. S. A. V. DEGREE COLLEGE, GOLA, GORAKHPUR
8	0025800520003	Deoria	DEV BANDHU MAHAVIDYALAYA, NONAPAR, DEORIA
9	0025801200001	Kushinagar	BUDH SNATAKOTTAR MAHAVIDYALAYA, KUSHI NAGAR
10	0025805770001	Deoria	S K Law College
11	0025805840001	Gorakhpur	U S Academy Kanya Mahavidyalaya
12	0025805800001	Deoria	JAY GANGA LAW COLLEGE
13	0025805830001	Gorakhpur	Draupadi Devi Vindhychal Shikshan Prashikshan Kendra

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त से अवगत होते हुए अपने जनपद से संबंधित नवीन महाविद्यालय/पुराने महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम के संचालन हेतु भूमि सत्यापन आख्या (शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित संशोधित समय-सारिणी के समयान्तर्गत) आनलाइन प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक— शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- 3 सम्बन्धित महाविद्यालय को सूचनार्थ।
- 4 प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 5 वैय0 सहायक कुलसचिव।

उप-कुलसचिव

महत्वपूर्ण**संख्या-1/ 88/927 /2025/70-2099/28/2024**

पेशक,

शिपू गिरि,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2**लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2025**

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1968/सत्र-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 09.10.2024 एवं संख्या-3261/सत्र-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 27.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	---
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 24 फरवरी, 2025।
3.	अनापति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।

जाना।	
4. ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक।
5. शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 मार्च, 2025 तक।
6. निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 30 मार्च, 2025 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2)तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 30 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7. निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 10 अप्रैल, 2025 तक।
8. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10. शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3- शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri

Date: 17-02-2025 12:55:18
(शिपू गिरि)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Surya (बसुप्रीत मिश्रा)
Prakash Mishra

Date: 17/07-2025 15:59:38